उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

अधिहरण अपील वाद सं0 01/2019–20

मिथुन मिस्त्री .... **अपीलकर्त्ता**

बनाम

वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका .... **उत्तरकारी**

।। आदेश ।।

19/03/2021 यह अधिहरण अपील वाद प्राधिकृत पदाधिकारी सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका के अधिहरण वाद सं0 06/2019 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2019 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैनें उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता TATA ACE Registration No- JH04M/1757 के मालिक है। इस गाड़ी में शीशम का 13 पीस चौखट का लकड़ी, चिलबिल का 25 पीस, चिरान लकड़ी एवं लगभग 60 कि0ग्रा0 जलावन लकड़ी लोड होने का गलत आरोप लागते हुए जप्तकर अधिहरण वाद सं0 06/2019 में राजसात किया गया है। उनके गाड़ी में आरोपित लकड़ी लोड नहीं था। उनका गाड़ी बिना समान लोड किये खड़ी थी। ऐसी स्थिति में उक्त गाड़ी को जब्तकर अधिहरण किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

उत्तरकारी की ओर से सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि संबंधित गाड़ी में आरोपित लकड़ी लोड था, जो नियम के विरूद्ध है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत गाड़ी को जप्तकर अधिहरण किया जाना सही है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं पारित आदेश का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिल कारण–पृच्छा में स्वीकार किया गया है कि यह उनका यह पहला गलती है जिसका यह अंजाम है।

इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के गाड़ी जे.एच. 04एम 1757 में शीशम का 13 पीस चौखट का लकड़ी, चिलबिल का 25 पीस चिरान लकड़ी एवं लगभग 60कि0ग्रा0 जलावन लकड़ी को गाड़ी में लोड कर अवैध परिवहन करने के क्रम में जप्त किया गया है तथा अधिहरण वाद सं0 06/2019 के द्वारा अधिहरण किया गया है जो सही प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खरीज किया जाता है।

32 [illegible] dt 20/4/21

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
दुमका।
19/3/2021

उपायुक्त,
दुमका।
19/3/2021

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 13:58:21 +05:30
Location: 169.254.227.244